

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3159
दिनांक 06 अगस्त, 2026

एलपीजी वितरण बुनियादी ढांचे का विस्तार

†3159. श्री बैजयंत पांडा:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश भर में बॉटलिंग प्लांट और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स सहित तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) वितरण अवसंरचना के विस्तार का व्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त विस्तार से ग्रामीण और आकांक्षी जिलों में एलपीजी की पहुंच में किस हद तक सुधार हुआ है; और
- (ग) सरकार द्वारा विश्वसनीय एलपीजी आपूर्ति और उपभोक्ता सुविधा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की नियुक्ति करना एक सतत प्रक्रिया है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के लिए एकीकृत चयन दिशानिर्देश 2016 के तहत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की स्थापना हेतु स्थलों की पहचान की जाती है तथा विज्ञापन दिया जाता है।

दिनांक 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 25,611 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स प्रचालित हैं, जिनमें से 17,685 डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ओएमसीज ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में एलपीजी तक पहुंच में सुधार लाने के लिए दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2026 तक देश भर में 8,045 डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स कमीशन की हैं, जिनमें से 7,452 (यानी 93%) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रही हैं। दिनांक 01.04.2023 से पीएसयू ओएमसीज द्वारा 298 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स कमीशन की गई हैं, जिनमें से 262 डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स (88%) ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

ओएमसीज ने दूरदराज और अल्प-सेवित क्षेत्रों में अंतिम-छोर तक डिलीवरी को और बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स कमीशन करना, सामान्य सेवा केंद्र-ग्राम स्तरीय उद्यमी (सीएससी वीएलईज) की नियुक्ति करना, ऑर्डर बुकिंग और ट्रेकिंग के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शामिल है।

देश में पर्याप्त एलपीजी भरण क्षमता उपलब्ध है। दिनांक 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार, ओएमसीज के 214 एलपीजी भरण संयंत्र हैं जो पूरे देश में सेवा प्रदान कर रहे हैं जिनकी भरण क्षमता 23.1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। पीएसयू ओएमसीज के अधिकांश भरण संयंत्र वर्तमान में केवल सिंगल या डबल शिफ्ट में ही काम करते हैं। आवश्यकतानुसार, प्रति दिन की शिफ्ट संख्या को बढ़ाकर वास्तविक एलपीजी भरण को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है।

पीएसयू ओएमसीज ने दिनांक 01.04.2023 से 750 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष (टीएमटीपीए) की संयुक्त क्षमता वाले 10 एलपीजी भरण संयंत्रों को कमीशन किया है और मौजूदा एलपीजी संयंत्रों

में 18 टीएमटीपीए की वृद्धि की है। अतः, पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएसयू ओएमसीज द्वारा अतिरिक्त जोड़ी गई कुल भरण क्षमता 768 टीएमटीपीए है।

देश भर के आकांक्षी जिलों को शामिल करते हुए गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से मई, 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत की गई थी। दिनांक 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार, देश में 10.58 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शनों सहित 33.13 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। पीएमयूवाई के कार्यान्वयन के साथ-साथ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स और भरण अवसंरचना के विस्तार ने देश में एलपीजी कवरेज संबंधित सुधार में योगदान दिया है, जो अप्रैल 2016 में 62% से बढ़कर अब लगभग संतृप्ति तक पहुंच गया है।

(ग): तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु देशभर में कई डिजिटल पहलें लागू की हैं, जिनमें बुकिंग पर एसएमएस अलर्ट के साथ आईवीआरएस/एसएमएस आधारित रिफिल बुकिंग, कैश मेमो जनरेशन और डिलीवरी स्टेज, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित सत्यापित डिलीवरी और मोबाइल ऐप, आईवीआरएस, एसएमएस, मिस्ड कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल बुकिंग शामिल हैं। उपभोक्ता ओएमसी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्व-बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण का लाभ उठा सकते हैं, मिस्ड कॉल के माध्यम से नया एलपीजी कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न सिलेंडर पैकेज विकल्पों में से चुन सकते हैं और ग्राहक दस्तावेजों के डिजिटलीकरण का लाभ उठा सकते हैं।

ओएमसीज ने ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाने के लिए समर्पित शॉर्ट-कोड उपभोक्ता हेल्पलाइन अर्थात् सामान्य हेल्पलाइन के लिए 14428 और पीएमयूवाई (उज्ज्वला) लाभार्थियों के लिए 14438 शुरू की हैं। इसके अलावा, एलपीजी उपभोक्ता अपनी समस्या या शिकायतें कई माध्यमों से दर्ज करा सकते हैं, जिसमें समस्याओं के लिए समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन (1800 2333 555) जिनमें राजसहायता से संबंधित मुद्दों, ओएमसी की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स), चैटबॉट, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (ट्विटर/एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम) सहित एमओपीएनजी ई-सेवा शामिल है, एलपीजी दुर्घटनाओं और रिसाव हेतु अथवा सीधे अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के कार्यालय में शिकायत दर्ज करने के लिए समर्पित आपातकालीन हेल्पलाइन 1906 शामिल है।

आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय व्यवधानों या भू-राजनीतिक घटनाओं से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए एलपीजी आयात के विविधीकरण का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यनीति के तहत, पीएसयू ओएमसीज ने हाल ही में कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए लगभग 2.2 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) अमेरिकी मूल के एलपीजी के आयात हेतु संविदाओं को पूरा किया है, जो देश की कुल एलपीजी आयात आवश्यकता का लगभग 10% है। यह पारंपरिक अरब खाड़ी क्षेत्र के बाहर एक विश्वसनीय वैकल्पिक एलपीजी आपूर्ति स्रोत स्थापित करके भारत की ऊर्जा संबंधित लचीलेपन को और मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार आपूर्ति की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और पूरे देश में एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अतिरिक्त उपाय करेगी, जो आवश्यक हो सकते हैं।
